मध्य प्रदेश पर्यटन

वसुधैव कुटुम्बकम

द रियल इंडिया होमस्टे

मध्यप्रदेश

मध्यप्रदेश टूरिज्म बोर्ड, भोपाल

MADHYA PRADESH

The heart of Incredible India

परिचय

"अथिति देवो भव" जिसका अर्थ है "अतिथि भगवान का रूप है", हम भारतीय इस कहावत को सच भी मानते हैं, और भारत में हमेशा से मेहमानों को देवता के सामान स्थान दिया जाता है। मेहमानों का घर पर होना और उनकी सेवा करना हमारे लिए एक सौभाग्य की बात होती है । विश्व में भारतीय अपनी मेहमाननवाजी एवं खातिरदारी के लिए जाने जाते हैं। भारतीय एवं विदेशी पर्यटकों में से अधिकांश पर्यटक भारतीय संस्कृति, परंपरा, खान-पान एवं आतिथ्य का अनुभव करने के लिए ही भारत आते हैं।

पर्यटन विभाग, मध्यप्रदेश शासन के द्वारा स्थानीय एंव विदेशी पर्यटकों को प्रदेश में नवीन पर्यटक अनुभव प्रदान करने हेतु अभिनव प्रयास किया जाता रहा है। वर्तमान में पर्यटको के बदलते रूझान को देखते हुए अनुभव आधारित पर्यटन में बेहतर सेवाओं हेतु होम स्टे संबधी नवीन नीतियों को लागू किया गया है। देश के और विदेशों के पर्यटकों तथा यात्रियों को ठहरने के लिये स्वच्छ एवं किफायती स्थान उपलब्ध कराने, पर्यटकों को भारतीय संस्कृति, परम्पराओं एवं भारतीय भोजन आदि अनुभवों के अवसरों की प्राप्ति को दृष्टिगत प्रदेश में होम स्टे संबंधी नवीन योजनाओं को लागू किया है। प्रदेश में मध्यप्रदेश होम स्टे स्थापना (पंजीयन तथा नियमन) योजना 2010, संशोधित 2018 को लागू किया गया था, इस योजना में सम्पत्तिधारकों एवं पर्यटकों की बढ़ती रूची को देखते हुए तीन नवीन योजनाओं, यथा- मध्यप्रदेश बेड एण्ड ब्रेकफास्ट स्थापना (पंजीयन तथा नियमन) योजना, 2019, मध्यप्रदेश फार्म स्टे स्थापना (पंजीयन तथा नियमन) योजना, 2019, मध्यप्रदेश ग्राम स्टे स्थापना (पंजीयन तथा नियमन) योजना, 2019 को लागू किया गया है।

आप होमस्टे क्यों प्रारंभ करें ?

- अगर आप ग्रहणी, सेवानिर्वित व्यक्ति, व्यवसायी, आदि हैं, और आपको नए लोगो से मिलना, अनुभव साझा करना अच्छा लगता है, तो आप होमस्टे प्रारंभ कर सकते हैं।
- अगर आप घर में रहकर अपना नवीन कार्य प्रारंभ करना चाहती हैं|
- यदि आप तेजी से बढ़ते हुए पर्यटन व्यवसाय से जुड़ना चाहते हैं, एवं वर्तमान कार्य के साथ-साथ पर्यटन के माध्यम से घर बैठे अतिरिक्त आय अर्जित करना चाहते हैं।
- यदि आपको नए लोगो से मिलना, अपनी संस्कृति, खान पान, वेश भूषा, गीत संगीत, हस्तशिल्प-हस्तकला एवं पारंपरिक परम्पराओं से पर्यटकों को परिचित करवाना चाहते हैं ।
- यदि परम्परागत भारतीय चिकित्सा पद्धतियों जैसे योगा, नेचुरोपैथी, वैलनेस सेंटर के प्रैक्टिशनर हैं एवं इन पद्धति के माध्यम से पर्यटकों को लाभान्वित करना चाहते हैं।
- यदि आपके घर मे कम से कम 01 एवं अधिकतम 06 अतिरिक्त कक्ष हैं, और आप अपने घर के अतिरिक्त कक्ष के माध्यम से अतिरिक्त आय अर्जित करना चाहते हैं ।
- यदि आप अपने व्यवसाय को नए लोगों के साथ मेल जोल (नेटवर्किंग) के माध्यम से बढ़ाना चाहतें हैं और अन्य शहरों एवं देशों के लोगो के साथ मेल जोल रखना चाहते हैं।

तो होमस्टे योजनाएँ आपके लिये बिल्कुल उपयुक्त हैं ।

योजनाओं का विवरण

- होमस्टे स्थापना (पंजीयन तथा नियमन) योजना 2010 (संशोधित 2018)
- बेड एवं ब्रेकफास्ट स्थापना (पंजीयन तथा नियमन) योजना 2019
- फार्म स्टे स्थापना (पंजीयन तथा नियमन) योजना 2019
- ग्राम स्टे स्थापना (पंजीयन और नियमन) योजना 2019

होमस्टे स्थापना (पंजीयन तथा नियमन) योजना 2010 (संशोधित 2018):होमस्टे आतिथ्य और आवास का एक लोकप्रिय रूप है, जिसके तहत आगंतुक शहर के स्थानीय लोगों के साथ उनका निवास साझा करते हैं । नगरीय निकाय की सीमा के अन्दर ऐसी इकाई जिसमे सम्पत्तिधारक स्वयं निवासरत हो एवं पर्यटकों को भारतीय आतिथ्य, व्यंजनों, रीति- रिवाजों और परंपराओं का अनुभव करने का अवसर देकर, आरामदायक आवास रहने की सुविधा प्रदान करने के लिए इच्छुक हों|

बेड एवं ब्रेकफास्ट स्थापना (पंजीयन तथा नियमन) योजना 2019:
ऐसी व्यवस्था है, जिसके माध्यम से देशी - विदेशी पर्यटकों को किफायती दरों पर आवास एवं नाश्ता/भोजन आदि सुविधा प्रदाय करना एवं भारतीय संस्कृति एवं आतिथ्य से परिचित करवा सकता है । नगरीय निकाय की सीमा के अन्दर ऐसी इकाई जिसमे सम्पत्तिधारक स्वयं अथवा केयरटेकर निवासरत हो।

फार्म स्टे स्थापना (पंजीयन तथा नियमन) योजना 2019:
फार्म स्टे नगरीय निकायों की सीमा से बाहर स्थित आवासीय भवन, जिसमें संपत्तिधारक/केयर टेकर स्वंय निवास करता हो एवं पर्यटक आवास एवं खानपान सुविधा उपलब्ध हो तथा प्राकृतिक पर्यावरणीय अनुभव एवं इनडोर-आउटडोर मनोरंजक गतिविधियाँ उपलब्ध हों।

ग्राम स्टे स्थापना (पंजीयन तथा नियमन) योजना 2019:
ग्राम पंचायत क्षेत्र में स्थित ऐसे आवासीय भवन, जिसमें गृहस्वामी स्वयं अथवा पर्यटन हेतु गठित पंजीकृत सहकारी समिति अथवा पंजीकृत स्व-सहायता समूह द्वारा इकाई का संचालन किया जाता है| उक्त इकाइयाँ ग्रामीण क्षेत्रों में अवस्थित हो|

पंजीकरण के आवश्यक मापदण्ड

- इकाई विशुद्धत: आवासीय हो। इकाई स्वामी अथवा केयरटेकर भौतिक रूप से उसमें सतत् निवासरत हो। इकाई में किचन का संचालन किया जाता हो।
- सम्पत्तिधारक/केयरटेकर उसके आवासीय भवन के कम से कम 01 तथा अधिकतम 06 होगी, जिसमें अधिकतम 12 शैय्या होगी।
- इकाई में स्नानागार, शौचालय, जल, उर्जा/विद्युत आपूर्ति, फर्नीचर आदि सुविधाएँ उपयुक्त एवं आरामदायक होगी। कक्षों में हवा आने- जाने के लिये खिड़की अथवा वेन्टीलेटर हो।
- परिसर अच्छी अवस्था में हो । परिसर में साफ - सफाई की उत्तम व्यवस्था हो । अग्नि सुरक्षा सहित अन्य सुरक्षा का पर्याप्त प्रबंध हो ।
- इकाई तक विधिवत पहुंच मार्ग हो एवं इकाई के आसपास कोई अस्वच्छ/प्रदूषणकारी गतिविधि संचालित नहीं हो । किसी एक संपत्तिधारक द्वारा एक ही परिसर/कॉलोनी/भवन में पृथक-पृथक बेड एण्ड ब्रेकफ़ास्ट इकाईयों का पंजीयन नहीं कराया जा सकेगा ।

पंजीयन प्रक्रिया

संपत्तिधारक स्वयं अथवा एम.पी.ऑनलाइन के केन्द्रों से बेहद सरल एवं आसान ऑनलाईन प्रक्रिया द्वारा अपनी इकाई का पंजीयन कर सकते हैं, ऑनलाईन आवेदन हेतु वेबसाईट http://MPhomestay.mponline.gov.in के माध्यम से पंजीयन कर सकते हैं ।

आवेदन शुल्क का विवरण निम्न है

नाम	श्रेणी / आवेदन शुल्क (GST 18% अतिरक्त)
होम स्टे	सिल्वर श्रेणी / 1000/- गोल्ड श्रेणी / 2000/- डायमंड श्रेणी / 3000/-
बेड एण्ड ब्रेकफास्ट	2000/-
फार्म स्टे	5000/-
ग्राम स्टे	1000/-

इस योजना में पंजीकृत समस्त इकाइयों का पंजीकरण तीन साल तक वैध रहेगा।

योजना अंतर्गत अन्य लाभ

- पर्यटन विभाग के सहयोग से अतिरिक्त आय का स्रोत।
- पर्यटन विभाग में इकाई के पंजीयन पश्चात् समय समय पर निर्धारित चरणों के अनुसार आकर्षक वित्तीय एवं विभागीय प्रोत्साहन प्रदान किया जाता है।
- पंजीकृत इकाई को फूड तथा रेस्टोरेंट लायसेंस लेना आवश्यक नहीं होगा।
- इन लाभदायक योजनाओं के साथ मध्य प्रदेश के पर्यटन विभाग के आतिथ्य क्षेत्र में सहयोगी बनना।
- पर्यटन विभाग अपनी वेबसाइट और अन्य मीडिया स्रोतों के माध्यम से सभी पंजीकृत इकाइयों का प्रचार - प्रसार करेगा।
- विपणन हेतु तकनीकी बाज़ार की मांग के अनुरूप तकनिकी सहायता।
- राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित इवेंट में भाग लेने पर सहयोग।

समस्त योजनाओ का तुलनात्मक विवरण

क्रं.	विवरण	होमस्टे योजना	बेड एंड ब्रेकफास्ट योजना	फार्मस्टे योजना	ग्राम स्टे योजना
1	**ईकाई का संचालन**	संपत्तीधारक द्वारा स्वयं	संपत्तीधारक द्वारा स्वयं अथवा केयर टेकर द्वारा	संपत्तीधारक द्वारा स्वयं अथवा केयर टेकर द्वारा	संपत्तीधारक द्वारा स्वयं
2	**कक्षो की संख्या**	न्यूनतम 01 एवं अधिकतम 06 (12 शैय्या)			
3	**पंजीयन शुल्क** (GST अतिरिक्त)	सिल्वर श्रेणी - 1000 गोल्ड श्रेणी - 2000 डायमंड श्रेणी - 3000	2000	5000	1000
4	**पंजीयन अवधि**	03 वर्ष			
5	**पर्यटक सुविधाएं**	आवास, नाश्ता/भोजन		आवास, नाश्ता/भोजन मनोरंजन / ग्रामीण परिवेश से संबधी गतिविधियां	
6	**पंजीयन क्षेत्र**	शहरी/ग्रामीण		शहर के सीमा से बाहर	ग्राम/ ग्राम पंचायत
7	**कक्षो का आकार (न्यूनतम** वर्ग फिट)	100	120	150 - एकल शैय्या 200 - दो शैय्या	100
8	**स्नानागार का आकार (न्यूनतम** वर्ग फिट)	सिल्वर श्रेणी - 30 गोल्ड श्रेणी - 45 डायंमड श्रेणी- 60	30	32	-
9	**नवीनीकरण शुल्क** (GST अतिरिक्त)	1000	2000	5000	1000
10	**प्रोत्साहन राशि (एक बार)**	सिल्वर – निरंक गोल्ड - 25000/- डायमंड – 50000/-	प्रथम वर्ष पश्चात् 50 अतिथि आवास दिवस पूर्ण होने पर राशि रू. 15,000/- द्वितीय वर्ष पश्चात् 75 अतिथि आवास दिवस पूर्ण होने पर राशि रू. 20,000/- तृतीय वर्ष पश्चात् 100 अतिथि आवास दिवस पूर्ण होने पर राशि रू. 25000/-		
11	**प्रचार-प्रसार प्रोत्साहन (एक बार)**	ब्रोशर / वेबसाइड तैयार करने हेतु 10,000/-	ब्रोशर तैयार करने हेतु राशि रू. – 10,000/- वेबसाईट तैयार करने हेतु राशि रू. – 10,000/-		
12	**अंतर्राष्ट्रीय ट्रेवल मार्ट में सहभागिता प्रोत्साहन**	अंतर्राष्ट्रीय/राष्ट्रीय ट्रेवल मार्ट में सहभागिता व्यय का 50% अथवा अधिकतम राशि रूपये 50,000/- तक की प्रोत्साहन राशि देय होगी ।			
13	**कौशल विकास प्रशिक्षण में सहभागिता प्रोत्साहन**	कौशल विकास प्रशिक्षण में सहभागिता हेतु अधिकतम रूपये 500/- का यात्रा भत्ता प्रति होमस्टे प्रति व्यक्ति देय होगा । यह भत्ता प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन होम स्टे स्थल से भिन्न दूसरे शहर में होने पर ही देय होगा ।			

The heart of
Incredible India

अधिक जानकारी हेतु संपर्क करें

मध्यप्रदेश टूरिज्म बोर्ड
6वां तल, लिली ट्रेडविंग, जहांगीराबाद, भोपाल – 462008
संपर्क - 0755-2780700/600
ईमेल - homestay.mptb@mp.gov.in
वेबसाइट - www.tourism.mp.gov.in
www.mphomestay.mponline.gov.in (पंजीयन हेतु)

*फोटो पंजीकृत होमस्टे इकाईयों के सहयोग से।